बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना - 800001

आवंटनादेश

सं०-01/दि0स0नि0(बजट)-08/2026 स.क.- पटना, दिनांक-

प्रेषक,

भुवन कुमार,
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के विशेष घटक में कुल रू० 4,48,07,306/- (चार करोड अड़तालीस लाख सात हजार तीन सौ छः रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-3/यो०स०क०-20/2022-10 दिनांक-13.04.2026 (संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के विशेष घटक में कुल रू० 14,00,00,000/- (चौदह करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत राशि के आलोक में रू० 4,48,07,306/- (चार करोड अड़तालीस लाख सात हजार तीन सौ छः रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्व के आवंटनादेश के अतिरिक्त है।

3. भारित राशि की निकासी मांग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0111-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-0111.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड-51-2235027890111 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक-09.03.2026, 2956/वि० दिनांक-25.03.2026, 314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' के विशेष घटक हेतु Axis Bank में खोले गये Parent Account खाता सं०-923010071934232 IFSC Code-UTIB0000387 में राशि अंतरित की जायेगी। उक्त राशि से आवश्यकतानुसार जिलों को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना

'सम्बल' के विशेष घटक हेतु जिलों में Axis Bank में खोले गये Child Account खाता में राशि Limit की जायेगी।

8. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है।

9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे निदेशालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-271 के अनुसार BTC Form 42A में भेजा जायगा।

10. यह चालू योजना है । अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-08/2026 स.क.- पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपिः-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-08/2026 स.क.- पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-08/2026 स.क.-10 पटना, दिनांकः-14.07.2026

प्रतिलिपिः-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार/सभी जिला कोषागार, पदाधिकारी, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। (आवंटनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित)।

14.7.26

उप निदेशक